न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–28 / 2018
GCMS NO:- 2018/00058 दायर दिनांक: 04.04.2018
पीठासीन अधिकारी :–शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. गीता बाई पत्नि प्रहलाद जाति बागरिया निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. प्रहलाद आ0 मोतीजाति बागरिया निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. रामप्रसाद आ0 सुवालाल जाति ब्रामहण निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. प्रहलाद आ0 सुवालालजाति ब्रामहण निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
3. नाथी बाई पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवां।
4. प्रम पुत्री कमला पत्नि ओमप्रकाश निवासी इटावा खातोली जिला कोटा।
5. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, एसबीबीजे शाखा देई जिला बून्दी।
6. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, आईसीआईसीआई शाखा देई जिला बून्दी।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबिलास साहू, श्री रामबाबू शर्मा एंव श्री जय सिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 27.07.2023

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में कृषि भूमि खसरा संख्या 272 / 05–15, 281 / 00–06, 290 / 04–04–03, 291 / 02–17, 296 / 01–19 कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है जिसको वादीगण ने उनके पूर्व खातेदारान रामकिशन का हिस्सा 1 / 5 को वादी प्रहलाद ने एवं मोहन, रामकिशन पि0 सुवालाल हिस्सा 2 / 30 व सुशिला पुत्री सुवालाल हिस्सा 1 / 30 एवं महावीर पुत्र कमला हिस्सा 1 / 60 का कुल हिस्सा 7 / 60 को वादीया संख्या 1 गीता बाई ने करीब 2 वर्ष पूर्व जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद कर लिया था। इस प्रकार वादीगण का उक्त भूमि में वादी संख्या 2 प्रहलाद का हिस्सा 1 / 5 व वादीया संख्या 1 का हिस्सा 7 / 60 है तथा उक्त भूमि में वादीगण की कुल कृषि भूमि करीब 4 बीघा 15 बिस्वा है तथा विकेता खातेदारान ने तत्समय ही वादीगण को मौके पर जाकर अपनी बैचान शुदा भूमि पर कब्जा संभला दिया था। तब से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्वक फसल बोते व काटते चले आ रहे है। तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भी वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। यह कि कुछ समय से प्रतिवादीगण वादीगण से कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करने लगे है तथा खेतों मे पडी मेरों को वादीगण की और सरकाने लगे तथा अपनी भूमि वादीगण की ओर बताकर जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की नीयत विवाद कर रहे है । यही वाद का कारण है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि उक्त विवादित भूमि का विधिवत विभाजन करवाये तथा अपना खाता अलग दर्ज करवाये। वादीगणने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी ,नकल नक्शा ट्रेस तथा बयानों के शपथ पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादी संख्या 6 आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई ने अपने जवाब दावे में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण राजस्व रिकार्ड की जांच करवाकर फिर दिया गया है। तथा इनके हिस्सों पर बैंक राहिन भी ... अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब प्रतिवादीगण आदि का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ... में आज पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी जाकर दिनांक ...11.2021 को वादीगण के वाद मुताबिक याचना प्राथमिक डिकी किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नैनवां द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौका एवं कब्जा के अनुसार निम्न प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

क्र. सं.	खातेदार/हिस्सेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	गीता पत्नी प्रहलाद हि0 7/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्री मोती हि0 12/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार	296 281 290/1 291/1	1–19 0–06 1–12 0–18	बा0 3 गै0मु0 बर्डा बा0 3 बा0 3
		कुल किता 4	कुल रकबा 4–15 बीघा	
2	नाथी बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ हि0 12/41 सा. देह खातेदार रामप्रसाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रेम पुत्री कमला हि0 1/41 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	272 290/2 291/2	5–15 2–11 1–19	बा0 3 बा0 3 बा0 3
		कुल किता 3	कुल रकबा 10–05 बीघा	

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाने पर वकील उभयपक्षकारान ने सहमति व्यक्त की। अतः वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की खसरा संख्या 272/05–15, 281/00–06, 290/04–04–03, 291/02–17, 296/01–19 कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा भूमि का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	खातेदार/हिस्सेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	गीता पत्नी प्रहलाद हि0 7/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्री मोती हि0 12/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार	296 281 290/1 291/1	1–19 0–06 1–12 0–18	बा0 3 गै0मु0 बर्डा बा0 3 बा0 3
		कुल किता 4	कुल रकबा 4–15 बीघा	
2	नाथी बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ हि0 12/41 सा. देह खातेदार रामप्रसाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रेम पुत्री कमला हि0 1/41 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	272 290/2 291/2	5–15 2–11 1–19	बा0 3 बा0 3 बा0 3
		कुल किता 3	कुल रकबा 10–05 बीघा	

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न–भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा संभलाये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिकी जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। बैंक रहन सम्बन्धित पक्षकार पर यथावत दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी से करवायें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

नजरी
नक्शा ट्रेस
ग्राम - गणेशपुरा
तहसील - नैनवां

परिशिष्ट - "क"

नाथीबाई पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ हि. 12/41, रामप्रसाद प्रह्लाद पि. सुवालाल 28/41 प्रेमपुरी कमला 1/41 जाति ब्रा०

गीता पत्नी प्रह्लाद हि. 7/19 प्रह्लाद पुत्र मोती हि 12/19 जाति बागरिया

नि. नाथीबाई

नि. गीताबाई

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

1-4-22

5/4/2022

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:58 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिकरी ब मुकदमें इन्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवाँ ब इजलास श्योराम (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :–शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. गीता बाई पत्नि प्रहलाद जाति बागरिया निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. प्रहलाद आ0 मोतीजाति बागरिया निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. रामप्रसाद आ0 सुवालाल जाति ब्रामृहण निवासी देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. प्रहलाद आ0 सुवालालजाति ब्रामृहण निवासी देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. नाथी बाई पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी गणेशपुरा तहसील नैनवां।
4. प्रम पुत्री कमला पत्नि ओमप्रकाश निवासी इटावा खातोली जिला कोटा।
5. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, एसबीबीजे शाखा देई जिला बून्दी।
6. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, आईसीआईसीआई शाखा देई जिला बून्दी।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 आर.टी एक्ट

मुकदमा नं. 28 **दावा 2018** सन् ....2018................यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–.. मिनजानिब मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल गुढादेवजी तहसील नैनवां में कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की खसरा संख्या 272/05–15, 281/00–06, 290/04–04–03, 291/02–17, 296/01–19 कुल किता 5 कुल रकवा 15 बीघा भूमि का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	खातेदार/हिस्सेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	गीता पत्नी प्रहलाद हि0 7/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्री मोती हि0 12/19 जाति बागरिया सा. देह खातेदार	296 281 290/1 291/1	1–19 0–06 1–12 0–18	बा0 3 गै0मु0 बर्डा बा0 3 बा0 3
		कुल किता 4	कुल रकबा 4–15 बीघा	
2	नाथी बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ हि0 12/41 सा. देह खातेदार रामप्रसाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रहलाद पुत्र सुवालाल हि0 14/41 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार प्रेम पुत्री कमला हि0 1/41 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	272 290/2 291/2	5–15 2–11 1–19	बा0 3 बा0 3 बा0 3
		कुल किता	कुल रकबा 10–05 बीघा	

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा [illegible] में प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा [illegible] कराये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। बैंक रहन सम्बन्धित पक्षकार पर यथावत दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

....

....चीज ....–.................... मुबलिग ....–............................ बाबत ....–..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–............................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–................. को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहद

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–		–	–

मुहर

दस्तखत ....

ओहद ....

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2023/ 235 दिनांकः– 31.7.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/~~प्रार्थना पत्र संख्या~~ गीताबाई बं रामप्रसाद

बउनवान 28/दावा/2018 ~~इजराय~~

निर्णय दिनांक 27-7-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:58 IST
Reason: SelfAttested